राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 2266/2011/बांसवाड़ा
2. अपील संख्या – 2267/2011/बांसवाड़ा
3. अपील संख्या – 2269/2011/बांसवाड़ा
4. अपील संख्या – 2270/2011/बांसवाड़ा

मैसर्स ज्ञायक मार्केटिंग प्राईवेट लि0,
बांसवाड़ा। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
करापवंचन, बांसवाड़ा। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :
श्री रतनपाल जैन,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2014

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के संयुक्त निर्णय दिनांक 20.07.2011 के विरूद्ध, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन वृत्त–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.07.2010 के द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध आरोपित मांग कर, ब्याज एवं शास्ति में से शास्ति को अपास्त करते हुए, व्यवसायी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के इस संयुक्त निर्णय के विरूद्ध ये द्वितीय अपीलें पेश की हैं।

2. चारों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवसायी से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी चाय का व्यापार करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर व्यवसायी के वर्ष 2006–07, 2007–08, 2009–10 एवं 2010–11 के आलौच्य अवधियों का सर्वेक्षण करने पर अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.07.2010 के द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 20.07.2011 द्वारा शास्ति को अपास्त करते हुए, अपीलें आंशिक स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के इस संयुक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

लगातार.....2

अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
2266/2011	2006–07	17,026/–	7,662/–	34,052/–	58,740/–
2267/2011	2007–08	20,512/–	6,769/–	41,024/–	68,305/–
2269/2011	2009–10	36,905/–	3,321/–	73,810/–	1,14,036/–
2270/2011	2010–11	26,476/–	5,295/–	52,952/–	84,723/–

4. अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी चाय का विक्रय करता है। चाय के साथ स्कीम में चाय की अतिरिक्त मात्रा भी दी जाती है जिस पर कोई राशि चार्ज नहीं की जाती है। यह अतिरिक्त राशि जिस पर आगत कर चाहा गया है, निःशुल्क नहीं दी जाती है बल्कि वह व्यापार संवर्धन हेतु दी जाती है। इस अतिरिक्त राशि की कीमत मूल चाय की कीमत में छदम् रूप से अर्न्तनिहित है। इस माल पर चुकाये गये कर पर आगत कर नहीं स्वीकारा है। अग्रिम तर्क किया कि व्यवसायी द्वारा समस्त संव्यवहार अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज किया है एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों के साथ विभाग को समय–समय पर सूचना दी गई है। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी की अपीलें स्वीकार की जावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी चाय के विक्रय के साथ जो अतिरिक्त चाय निशुल्क देता है उसका कोई मूल्य नहीं लेता है। अतः बिना मूल्य के दिये गये माल को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(35) में कवर्ड नहीं होता है। निशुल्क दी गई चाय विक्रय की श्रेणी में नहीं आती है। राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 एवं राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के नियम 18 के तहत आगत कर उस माल पर देय नहीं है जिसका विक्रय नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त रेकार्ड व्यवसायी के लेखा से ही जुटाया है। ऐसी परिस्थितियों मे व्यवहारी द्वारा चाही गयी आगत कर उसे स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से आगत कर अस्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आगत कर अस्वीकार करने में शेष रही मांग पर नियमानुसार ब्याज की देयता बनती है। अतः ब्याज भी यथावत रखा जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.07.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य